न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/117/2018

उनवान

1. भॅवरी बाई पत्नी मोहन लाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. बंशी लाल पुत्र मोहन लाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. श्यामलाल पुत्र मोहन लाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा मृतक के बजाय :—
   3/1 श्रीमती धापू देवी पत्नी स्व0 श्याम लाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
   3/2 जगदीश पिता श्याम लाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
   3/3 सुमन पुत्री श्याम लाल पत्नी छीतर माली निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. कमला पुत्री मोहन लाल माली पत्नि गिरधारी निवासी गंगापुर हाल निवासी रामपुरिया पोस्ट घोसुण्डा जिला चित्तोडगढ
5. मुन्ना पुत्री मोहन लाल माली पत्नि जगदीश निवासी गंगापुर हाल निवासी रामपुरिया पोस्ट घोसुण्डा जिला चित्तोडगढ
6. जसोदा पुत्री मोहन लाल पत्नी गोर्धन लाल माली किवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रूकमण देवी पत्नी रामकिशन पुत्री भॅवर माली निवासी कैलाश टाकीज के पीछे, गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गंगापुर मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के
प्रकरण संख्या 1361/2017 निर्णय दिनांक 23.1.2018

अधिवक्तागण :—

1. श्री दीपक शर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राकेश सुराणा ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 22.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाथीगण /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम खातेदारान/प्रार्थीगण भॅवरी बाई पत्नि मोहनलाल माली ,बंशी लाल , श्याम लाल, कमला , मुन्ना, जसोदा पिता मोहन लाल जी माली निवासियान गंगापुर तहसील सहाडा के खाता संख्या 632 की आराजी नम्बर 6248, 6250, 6253, 6258, 6299 कुल किता 5 रकबा 1.11 है0 ग्राम सहाडा तहसील सहाडा में स्थित है व विपक्षी संख्या 1 की भी ग्राम सहाडा में निम्न आराजी नम्बर 6251, 6258, 6300 कुल किता 3 कुल रकबा 0.53 है0 स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 6299, 6248 के मध्य विपक्षी सख्या 1 की आराजी नम्बर 6300 रकबा 0.1300 है0 स्थित है , प्रार्थीगण सदैव से आराजी नम्बर 6299 से होकर विपक्षी की आराजी नम्बर 6300 से होकर अपनी आराजी नम्बर 6248 व 6250 में आता जाता है व प्रार्थीगण अपने मवेशी बैलगाडी, ट्रेक्टर व अन्य साधन भी विपक्षी संख्या 1 की उक्त आराजी से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

लाते ले जाते हैं उक्त रास्ता वर्षो से प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही पगडंण्डी के रूप में उपयोग उपभोग में चला आ रहा है।

2. उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है और वह आये दिन रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे है व आने जाने में भी बाधा उत्पन्न करते है व विपक्षी संख्या 1 ने आवागमन की पगडण्डी को भी काश्त कर दिया व पत्थर डालकर रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं। जबकि वादग्रस्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है एवं उक्त वादग्रस्त रास्ते के अलावा प्रार्थी को उनकी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर आराजी नम्बर 6299 के पश्चिम दिशा में स्थित आराजी नम्बर 6300 रकबा 0.1300 हेक्टर से प्रार्थीगण की आराजियात पर स्थित आता चाह तक 12 फिट चौडाई का नया रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान करावें। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थीगण सदैव तत्पर एवं तैयार है एवं रहेंगे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होकर कानून की प्रक्रिया की जानकारी नहीं रखते हैं। दिनांक 23.1.2018 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया जिस हेतु उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र वास्ते नकल प्रस्तुत कर दिया गया जिसकी दिनांक 26.2.2018 को प्राप्त की गई । जिससे वक्त नकल प्राप्त करने की तारीख से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का समुचित अवलोकन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने पगडण्डी को ही रास्ता मानने में भूल की है। जबकि पगडण्डी और रास्ते में काफी अन्तर होता है । जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण के पास अपनी आराजी संख्या 6299 से 6248 व 6250 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अपीलार्थीगण सदैव से प्रत्यर्थी संख्या 1 की आराजी संख्या 6300 में से ही वर्षो से आवागमन करते चले आ रहे हैं व ट्रेक्टर बैलगाडी, संज इत्यादि लाने ले जाने व अन्य कृषि कार्य करने मे भी उक्त विवादित वादग्रस्त रास्ते का ही उपयोग उपभोग करते रहे हैं। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे माननीय न्यायालय हाजा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर पत्रावली रिमाण्ड की गई परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान् के निर्देश की भी पूर्ण पालना नहीं की जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय में अवलोकन नहीं किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजों का भी कानूनी विवेचन नहीं कर सरसरी तौर से निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2016 (1) पेज 440, आर आर टी 2015 (2) पेज 1003, आर आर टी 2014 (2) पेज 1440, आर आर टी 2013 (2) पेज 1124 , आर आर टी 2016 (2) 1149 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

10. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं दर्शाया है । अतः अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

11. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते के रूप में पगडण्डी का रास्ता विद्यमान है जिसका उपयोग उपभोग वे अपनी आराजी पर आने जाने के लिए कर रहे हैं । तहसीलदार की मौका रिपोर्ट जो कि दिनांक 14.62016 को तैयार की गई है जिस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर स्वयं श्याम लाल आवेदक श्याम लाल , बंशीलाल एवं जसोदा एवं अन्य दो जगदीश तथा गोरधन के हस्ताक्षर हैं जिसमें स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि मौके पर आराजी नम्बर 6247 जो कि आराजी नम्बर 6248 से मिला हुआ है उक्त आराजी 6247 की पूर्वी मेड पर पगडण्डी वर्तमान में जारी है जो माता जी का खेडा आबादी से आ रही है। जो आराजी नम्बर 6248 तक जारी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को अपनी आराजी तक पहूँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। जब खातेदार के पास अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो वे धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अपीलार्थीगण का निवेदन है कि अपीलार्थीगण के पास अपनी आराजी पर आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार की मौका पर्चा रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँचने के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना मानते हुए अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 14.6.2016 की फोटो प्रति का अवलोकन किया गया । उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में तैयार की गई है। उक्त मौका पर्चा में अंकित किया गया है कि '' मौके पर उक्त विवादित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। वर्तमान में दोनों आराजी नम्बरों में फसल काश्त नहीं है, जिससे आराजी नम्बर 6300 की उपरी मेड पर ही होकर वादीगण आराजी नम्बर 6248 पर आ जा रहे हैं। मौके पर नपती कर देखने से पाया कि आराजी नम्बर की उत्तरी मेड पर चाहे जाने वाले रास्ते का रकबा 0.0100 है0 (25 बाई 4 गुणा) आता है। वादीगण मौका स्थिति अनुसार बिलानाम गैर का0का0 दर्ज आराजी नम्बर 6415 से होकर स्वयं की आराजी नम्बर 6299 की उत्तरी मेड से होते हुए प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 6300 की उत्तरी मेड पर होकर आराजी नम्बर 6248 में जाने हेतु रास्ता चाहता है। मौके पर आराजी नम्बर 6247 जो कि आराजी नम्बर 6248 से मिला हुआ है , उक्त आराजी नम्बर 6247 के पूर्वी मेड पर पगडण्डी वर्तमान में जारी है जो माताजी का खेडा आबादी से आ रही है । जो आराजी नम्बर 6248 तक जारी है। '' उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट में पगडण्डी के रूप में रास्ता होना अंकित किया गया है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में स्वतंत्र आराजी नम्बर से दर्ज रिकार्ड नहीं है। पगडण्डी का रास्ता अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से ज्यादा दूरी का है जबकि न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2016 (1) पेज 440 में माननीय न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि '' कम दूरी का मार्ग उपलब्ध है तब लम्बी दूरी का मार्ग स्वीकृत नहीं करना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चाहिये '' अपीलाधीन प्रकरण में पर्चा मौका में जो पगडण्डी का रास्ता बताया गया है वह राजस्व रेकार्ड मे रास्ते के रूप में दर्ज रेकार्ड नहीं है एवं उक्त अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी पगडण्डी के रूप में दर्ज रास्ते से कम दूरी का रास्ता होकर इसका उपयोग उपभोग भी होता रहा है।

14. अपीलाधीन आदेश में सिविल न्यायालय के प्रकरण संख्या 50/2015 प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा श्याम लाल प्रार्थी द्वारा विवादित रास्ते बाबत पेश किया जाना व इस संबंध में आदेश दिनांक 16.1.2016 द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रथमदृष्टया मामले के बिन्दु पर विवेचन करते हुए यह दर्शाया जाना अंकित किया गया है कि प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस क्रम में कमिश्नर रिपोर्ट में भी प्रार्थी की आराजियात तक पहूँचने का अन्य वैकल्पिक रास्ता होना पाया है । मेरा विनम्र अभिमत है कि सुखाधिकार के प्रकरणों से भिन्न धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सृजन किया गया है। पगडण्डी के रास्ते सुखाधिकार के प्रकरणों में वैकल्पिक रास्ता माना जा सकता है। परन्तु राजस्व न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णित किये जाने के क्रम में मात्र राजस्व न्यायालय में दर्ज रास्ते को ही वैकल्पिक रास्ते के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अतएव समरी इन्क्वायरी में कोई वैकल्पिक रास्ता होना प्रकट नहीं होता है।

15. इस सबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक इकरारनामा की फोटो प्रति संलग्न है । उक्त इकरारनामा सहमति का इकरारनामा है। जिसमें मोहन लाल प्रत्यर्थीया/विपक्षीया के पिता है के हस्ताक्षर है एवं मोहन लाल द्वितीय पक्ष जो अपीलार्थीगण के पति/पिता हैं के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मध्य में उक्त इकरारनामा हुआ है। जिसके अनुसार '' आराजी खाता संख्या 6299 व आराजी संख्या 6300 पर उपरी पाली पर 15 फिट का सामलाती रास्ता होकर बंटवाडा कर दिया है। '' अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक मौका पर्चा जो कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.7.2015 को तैयार किया गया है उक्त फोटो प्रति प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति है उसमें अंकित किया गया है कि'' कन्हैया लाल व रामकिशन माली ने बताया कि उक्त आराजी नम्बर 6300 मेरी माता के नाम रेकार्ड में दर्ज है । हमनें श्याम लाल माली को उत्तरी मेड के किनारे पर आने जाने हेतु नहीं रोक रहे हैं अभी काश्त करने से ट्रेक्टर गाडी जाने से मेरी फसल को नुकसान होता है । फसल कटने के बाद ट्रेक्टर व अन्य साधन लेकर जावे तो कोई आपत्ति नहीं राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं है।'' इकरार नामा एवं मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक 11.7.2015 की अप्रमाणित प्रतियॉ प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिन्हें साक्ष्य के रूप में पढा नहीं जा सकता परन्तु प्राथमिक तौर पर यह निष्कर्षण किया जा सकता है कि आराजी नम्बर 6299 व 6300 की उपरी पाली का रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है परन्तु राजस्व रेकार्ड मे उक्त रास्ता दर्ज नहीं होने से राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराये जाने का प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमनें समरी इन्क्वायरी हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार करवाये गये मौका पर्चा दिनांक 14.6.2016 एवं नक्शा ट्रेश मौजा सहाडा का अवलोकन किया । मौका पर्चा से स्पष्ट है कि अपीलाण्टगण/प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 6300 में से होकर जो रास्ता चाहा है । वह मौके पर नहीं है परन्तु उक्त विवादित रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट एवं नक्शा अनुसार पगडण्डी भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्शाई गई है । जो प्रस्तावित रास्ते से अधिक लम्बाई में अंकित है तथा संदर्भित पगडण्डी का राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन नहीं होने से इसे वैकल्पिक रास्ता माने जाने का कोई कारण प्रदर्शित नहीं होता है। नक्शा ट्रेश मौजा सहाडा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज उपलब्ध रिकार्डेड रास्ते से अपीलार्थीगण की आराजी नम्बर 6248, 6250, 6253, व 6258 में जाने के लिए आराजी नम्बर 6299 व 6300 में 4 मीटर के चाहे गये रास्ते की हद तक अपीलाण्ट/वादी का प्रकरण प्रथमदृष्टया प्रमाणित होता है परन्तु धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की भावना के अनुरूप समरी इन्क्वायरी के दौरान आत्यंतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के बिन्दुओं पर सारगर्भित विवेचन किया जाना है। अपीलाण्टगण/वादीगण द्वारा धारा 251 ए 1(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता चाहा गया है । इस क्रम में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का ससम्मान अवलोकन किया गया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना निष्कर्षित किया है तथा इस बाबत न्यायिक उद्धरण का भी अंकन किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित न्यायिक उद्धरण एवं अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने की स्थिति में नवीन रास्ता स्वीकृत नहीं किया जाना प्रतिपादित किया गया है। जो अपीलाधीन मामले में चस्पा नहीं होते हैं। जिसे वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के अभाव मे आत्यंतिक आवश्यकता का रास्ता माना जाना उचित समझते है। समरी इन्क्वायरी हेतु तैयार कराई गई मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेश से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि अपीलाण्ट/वादीगण की आराजी नम्बर 6299 जो रिकार्डेड रास्ते से सटती हुई है में से भी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ता कायम किये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की मंशा पूर्ण होती है। इस स्तर पर विवेचन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहूँचते हैं कि आराजी नम्बर 6299 व 6300 की उत्तरी मेड पर 12 फिट चौडा रास्ता दर्ज किया जाना उचित हैं।

16. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.1.2018 को निरस्त किया जाता है राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते से अपीलार्थीगण की आराजी नम्बर 6248, 6250, 6253, व 6258 में जाने के लिए आराजी नम्बर 6299 व 6300 में 12 फिट चौडा रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है अपीलार्थीगण की आराजी नम्बर 6299 में से 12 फिट चौडे रास्ते की भूमि को अपीलार्थीगण से निःशुल्क समर्पित कराया जाकर एवं आराजी नम्बर 6300 की उत्तरी मेड पर 12 फिट चौडा रास्ता तरमीम व नामान्तरकरण खालने का आदेश दिया जावे । रास्ते हेतु आराजी नम्बर 6300 में से रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाली भूमि जो आराजी नम्बर 6300 में से प्रभावित होगी । जिसकी वर्तमान डी एल सी दर की गणना उपरान्त नियमानुसार देय राशि का अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीया को अदा करने के पश्चात ही रास्ता राजस्व नक्शे में दर्ज करने का आदेश दिया जावे। पालना हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया जावे।

17. निर्णय आज दिनांक 22.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

22/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★ सत्यमेव जयते